

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 583]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 नवम्बर 2020 — कार्तिक 20, शक 1942

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 11 नवम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-01/2019/सात-4.— छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त संहिता की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (3) में विनिर्दिष्ट तहसील की सीमाओं को परिवर्तित, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट नवीन तहसील सृजित तथा इसमें विनिर्दिष्ट अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करती है, जिसे उक्त संहिता की धारा 13 द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

अनुसूची

स.क.	जिला	वर्तमान तहसील	सृजित नवीन तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	नवीन तहसील की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	दुर्ग	1. दुर्ग 2. धमधा 3. पाटन	भिलाई-3	तहसील दुर्ग :- राजस्व निरीक्षक मण्डल दुर्ग के पटवारी हल्का नं. 09, 11, 12, 13, 14, 15 एवं 48 के कुल 13 ग्राम। राजस्व निरीक्षक मण्डल जामुल के पटवारी हल्का नं. 18 एवं 49 के कुल 04 ग्राम। तहसील धमधा :- राजस्व निरीक्षक मण्डल अहिवारा के पटवारी हल्का नं. 27, 28, 29, 30, 39, 45, 47 एवं 60 के कुल 22 ग्राम। राजस्व निरीक्षक मण्डल मुरमुंदा के पटवारी हल्का नं. 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 51,	उत्तर — तहसील धमधा दक्षिण — तहसील दुर्ग पूर्व — तहसील दुर्ग पश्चिम — तहसील राजनांदगांव

				52 एवं 61 के कुल 24 ग्राम। राजस्व निरीक्षक मण्डल कुम्हारी के पटवारी हल्का नं. 48, 49, 53 एवं 62 के कुल 07 ग्राम। राजस्व निरीक्षक मण्डल दारगांव के पटवारी हल्का नं. 31, 37 एवं 38 के कुल 10 ग्राम। तहसील पाटन :- राजस्व निरीक्षक मण्डल भिलाई-03 के पटवारी हल्का नं. 01, 12 एवं 13 के कुल 06 ग्राम। राजस्व निरीक्षक मण्डल चरोदा के पटवारी हल्का नं. 02, 03 एवं 57 के कुल 04 ग्राम। अतः कुल 40 पटवारी हल्के के कुल 90 ग्राम नवीन तहसील "भिलाई-3" में शामिल होंगे।	
--	--	--	--	---	--

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम.जी.दीवान, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 11th November 2020

NOTIFICATION

No. F 11-01/2019/Seven-4.— In pursuance of the provision contained in the proviso to sub-section (2) of section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), notice is hereby given that in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the said Code, the State Government alters the limits of Tehsil specified in column (3), create a new Tehsil specified in column (4) and defines the limits thereof as specified in Schedule below, the same having been previously published as required by Section 13 of the said Code, named :-

SCHEDULE

S.No.	District	Present Tehsil	Creat New Tehsil	Nature of Change	Boundaries of new Tehsil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Durg	1. Durg 2. Dhamdha 3. Patan	Bhilai-3	Tehsil Durg :- Total 13 villages of Patwari Halka No. 09, 11, 12, 13, 14, 15 and 48 of Revenue Inspector Mandal Durg. Total 04 villages of Patwari Halka No. 18 and 49 of Revenue Inspector Mandal Jamul. Tehsil Dhamdha :- Total 22 villages of Patwari Halka No. 27, 28, 29, 30, 39, 45, 47 and 60 of Revenue Inspector Mandal Ahivara. Total 24 villages of Patwari Halka No. 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 51, 52	North - Tehsil Dhamdha. South - Tehsil Durg. East - Tehsil Durg. West - Tehsil Rajnandgaon.

				and 61 of Revenue Inspector Mandal Murmunda. Total 07 villages of Patwari Halka No. 48, 49, 53 and 62 of Revenue Inspector Mandal Kumhari. Total 10 villages of Patwari Halka No. 31, 37 and 38 of Revenue Inspector Mandal Daargoan. Tehsil Patan :- Total 06 villages of Patwari Halka No. 01, 12 and 13 of Revenue Inspector Mandal Bhilai-3. Total 04 villages of Patwari Halka No. 02, 03 and 57 of Revenue Inspector Mandal Charoda. Hence, total 90 villages of 40 Patwari Halka shall be included in new Tehsil "Bhilai-3".	
--	--	--	--	--	--

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M.D.DIWAN, Joint Secretary.